राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/पार्ट–II/2010–11 जयपुर, दिनांक : 16 FEB 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
बांसवाडा, डूंगरपुर, झालावाड, करौली, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ,
बाडमेर, चित्तौडगढ, जैसलमेर, जालोर, सवाईमाधोपुर एवं टोंक।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जॉब कार्ड के नवीनीकरण के संबन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जॉबकार्ड 5 वर्ष की अवधि के लिए बनाये गये थे जिनकी अवधि समाप्त हो गयी है। योजनान्तर्गत जॉब कार्ड कम्प्यूटराईज्ड जारी किये जाने एवं इसे वर्तमान में चल रही सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना से जोडे जाने की प्रकिया विचाराधीन है एवं इसमें समय लगने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय किया गया है कि वर्ष 2012–13 के लिए भी पूर्व में जारी जॉब कार्ड का ही उपयोग रोजगार की मांग का विवरण एवं प्रदत्त रोजगार एवं भुगतान का विवरण के परिशिष्ठ जोडे जाकर किया जावे।

नये जॉब कार्ड जारी करने की प्रकिया सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना समाप्त होने के उपरान्त एवं इसे नरेगा सॉफ्ट से लिंक किये जाने के उपरान्त शीघ्र ही प्रायोगिक तौर पर प्रारम्भ की जाकर पूरे राज्य में लागू किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सम्पादित करावें।

भवदीय

13/2/12

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपिः

1. अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बांसवाडा, डूंगरपुर, झालावाड, करौली, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ, बाडमेर, चित्तौडगढ, जैसलमेर, जालोर, सवाईमाधोपुर एवं टोंक को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस